

FORM No. III

मुख्य अतिरिक्त एवं सहायक मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुख्य अतिरिक्त एवं सहायक मजिस्ट्रेट
खण्डेला (सीकर)

अलय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

..... गोपाल मजरा बनाम सुरेन्द्र मजरा

तदमा I मुकदमा नं. 98 सन् 2013

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
119	<p>प्राचीगण की ओर से कडीक शी अजगराज ने प्रापक पेस किया। निर्धारित सविदा ली गयी। प्राचीगण पर दारु शी गठित जाये। स्वयं पर कडक एक पक्षी कडीक शी लुगी गयी। पन्नावली क पन्नावली पर उपमय सापास रिमाई का अवकाश मिला गया। उपप्राचीगण के T.I से पाबन्द मिला जागा उपित प्रतीत होता है। अतः उपप्राचीगण के जमिने अन्तर्गत अस्पास विवेधाना से आगामी तारीख पेसी तक पाबन्द मिला जाता है कि बाद उत्तर भूमि 2173, तन ग्राम कावट व खण्डेला 2171 तन ग्राम चस्तीपुरा नदमीग खण्डेला जिला सीकर को मिला विधिक आदेश के सम्पत्तिग मोजप कार्य। निर्माण आदी नही करे। बेचान-अन्तरण नही करे। कवले काइत प्राची के गजादगर नही करे। यह स्वयं गरावो पर लागू नही है। 0-39 R-3 के पालन करते हुए पन्नावली आदि रिमाई 3-10-19 को पेस की है।</p>	<p>3476-80 6-9-19</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
03/19	वकील प्राचीन उपा। पदतज्जार तारीख प्रतिकारीगण पत्रावली दिनांक 02/11/2019 को पेश हो।
08/19 <i>सतवीरसिंह</i>	वकील प्राचीन उपा। अत्राचीगण की तलबी पुनः सम्मन तलबाना पेश होने पर जरिह सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 20/12/2019 को पेश हो। <i>dw</i>
10/19 <i>सतवीरसिंह</i>	
18/19	वकील प्राचीन द्वारा प्रस्तुत शर्चना-पर मिश्रित तलबी स्वीकार किया जाने पर छावली पूर्व नियत तारीख देकी तै तलब की जाकर आज पेश हुई। छंछि प्रा० पर ती० आई० से संबंधित मूल कादपर आज विद्वा किज जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा० पर ती० आई० में और आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी कतर पर Dरण की जाती है। पत्रावली कैसल सुमार होकर नम्बर से उम हो तथा बाद तदगील दाखिल दफतर हो। निष्पत्ति पुले न भायालय में पुनाया गया। <i>dw</i>

सतवीरसिंह सिंह
उपरखण्ड न्यायिकारी
खण्डेला (राजस्थान)

